रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 27, 2019/आषाढ़ 6, 1941
No. 223] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 27, 2019/ASHADHA 6, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2019

फा.सं.मानक/साल्ट/एमआईएससी (01)/एफएसएसएआई-2016 (पीटी-1).—खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन) संशोधन विनियम, 2018 का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना एफ. सं. मानक/साल्ट/एमआईएससी/01/ एफएसएसएआई-2016 (पीटी-1), तारीख 10 अप्रैल, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गईं थी, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 19 अप्रैल, 2018 को उपलब्ध करा दी गईं थी;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 92 उपधारा (2) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनती है, अर्थात;

विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन) दूसरा संशोधन विनियम, 2019 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 में, विनियम 2.3 में, उपविनियम 2.3.12 के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम को रखा जाएगा, अर्थात-

"2.3.12 सामान्य नमक के विक्रय पर निर्बंधन: कोई भी व्यक्ति तब तक सामान्य नमक की विक्रय नहीं करेगा या विक्रय के लिए प्रस्थापना नहीं करेगा या विक्रय के प्रयोजन के लिए उसे अपने परिसर में नहीं रखेगा जब तक कि उसे सीधे मानव उपभोग के लिए या खाद्य उत्पाद में सहयोज्य के रूप में प्रयोग के लिए आयोडीन युक्त नहीं बना दिया जाता है:

परंतु यह कि सामान्य नमक का, खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम 2.4.4 में यथा-विनिर्दिष्ट उचित लेबल घोषणा के अधीन आयोडिनीकरण, लौह प्रबलीकरण, पशु उपयोग, संरक्षण जो प्रत्यक्ष उपभोग के लिए नहीं है, शिशु खाद्य उत्पाद, औषधि विनिर्माण और औद्योगिक उपयोग के लिए विक्रय किया जा सकेगा या उसे विक्रय के लिए रखा जा सकेगा या विक्रय के लिए भंडारित किया जा सकेगा।"

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन- III/4/असा./110/19]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4, में अधिसूचना संख्यांक एफ. सं. 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती निम्न अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधित किए गए:-

(i) फा.सं.4/15015/30/2011, तारीख 8 फरवरी, 2013;

(ii) फा.सं.मानक/ओएवंएफ/अधिसूचना(2)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 23 अगस्त, 2016;

(iii) फा.सं.मानक/एफएवंवीपी/अधि. (02)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 23 अगस्त, 2016;

(iv) फा.सं. ए-1 (1)/मानक/एम.एम.पी/2012, तारीख 12 अक्तूबर, 2017 और

(v) एफ. सं. मानक/ओएवंएफ/अधिसूचना(8)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 31 जुलाई, 2018 ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2019

F.No. Stds/Salt/Misc/01/FSSAI-2016 (pt-1).- Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Amendment Regulations, 2018, was published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F.No. Stds/Salt/Misc/01/FSSAI-2016 (pt-1), dated the 10th April, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on 19th April, 2018;

And whereas objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulations, 2011, namely:-

Regulations

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on sales) Second Amendment Regulations, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on sales) Regulations, 2011, in regulation 2.3, for sub-regulation 2.3.12, the following sub-regulation shall be substituted namely:-

   "2.3.12: Restriction on sale of common salt.- No person shall sell or offer or expose for sale or have in his premises for the purpose of sale, common salt for direct human consumption or for use as an ingredient in a food product unless the same is iodized:

   Provided that common salt may be sold or exposed for sale or stored for sale for iodization, iron fortification, animal use, preservation not meant for direct consumption, for infant food products, manufacturing medicines and industrial use under proper label declarations, as specified in the provisions of regulation 2.4.4 of Food Safety and Standards (Packaging and labelling) Regulations, 2011."

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./110/19]

Note. - The principal regulations were published in the Gazette of India, Part III, section 4, Extraordinary vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended *vide* notification numbers:

(i) F.No.4/15015/30/2011, dated the 8th February, 2013;

(ii) F. No. Stds/O&F/Notification (2)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016;

(iii) F.No. Stds/F&VP/Notification (02)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016;

(iv) F.No. A-1(1)/Standards/MMP/2012, dated the 12th October, 2017 and

(v) File No. Stds/O&F/Notification (8)/FSSAI-2017, dated the 31st July, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.06.28 19:52:41 +05'30'